न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रेफरेन्स प्रकरण संख्या 56/2017

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ,मसूदा, अजमेर। ....प्रार्थी

बनाम

श्री रणजीत सिंह वल्द बहादुर सिंह कौम मेरात नि0 मसूदा। ...... अप्रार्थी

रेफरेन्स अन्तर्गत राज0 भू.राजस्व (निजी वन विकास हेतु अकृषि योग्य बंजर भूमि का आवंटन नियम 1986 के उप नियम 18

उपस्थित :– 1. श्री शुभकरणसिंह चौधरी राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :– 17.01.2018

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम मसूदा की आराजी खसरा नं0 3474 रकबा 8–15–00 किस्म गै0मु0पहाडी संवत् 2070 से 2073 की जमाबन्दी में रणजीत सिंह पुत्र बहादुर सिंह कौम मेरात सा0 मसूदा के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है जो कि जिला कलक्टर अजमेर के आवंटन आदेश क्रमांक आ.क./भू.अ./निजी वन विकास/86/682–686 दिनांक 30.01.87 द्वारा आवंटन की गई। आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो का पालना नहीं करने तथा आवंटन को 25 वर्ष पूर्ण होने से उक्त आवंटन राजस्थान भू–राजस्व (निजी वन विकास हेतु अकृषि योग्य बंजर भूमि का आवंटन) नियम 1986 के उपनियम 18 के अन्तर्गत निरस्त करने हेतु प्रार्थी द्वारा यह रेफरेन्स इस न्यायालय मे पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उपस्थित पैरोकार सरकार को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम मसूदा की आराजी खसरा नं0 3474 रकबा 8–15–00 किस्म गै0मु0पहाडी संवत् 2070 से 2073 की जमाबन्दी में रणजीत सिंह पुत्र बहादुर सिंह कौम मेरात सा0 मसूदा के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है जो कि जिला कलक्टर अजमेर के आवंटन आदेश क्रमांक आ.क. /भू.अ./निजी वन विकास/86/682–686 दिनांक 30.01.87 द्वारा आवंटन की गई। आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो का पालना नहीं होने तथा आवंटन को 25 वर्ष पूर्ण होने से उक्त आवंटन राजस्थान भू–राजस्व (निजी वन विकास हेतु अकृषि योग्य बंजर भूमि का आवंटन) नियम 1986 के उपनियम 18 के अन्तर्गत निरस्त कर भूमि सिवाय चक दर्ज करने के आदेश प्रदान करावें।

हमने पैरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटी द्वारा निजि वन विकास हेतु आंवटित भूमि पर वृक्ष नहीं लगाकर, आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई। प्रश्नगत भूमि मौके पर रिक्त है। चूकिं उक्त आवंटन नियम 1986 के तहत 25 वर्षो की अवधि के लिए

स्वीकृत था जिसकी अवधि पूर्ण होने पर नवीनीकरण होने के तथ्य भी स्पष्ट नहीं हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 30.01.87 को ग्राम मसूदा की आराजी खसरा नं0 3474 रकबा 8—15—00 किस्म गै0मु0पहाडी का नियम .1986 के अन्तर्गत निजि वन विकास हेतु किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है तथा उक्त भूमि को पुनः सिवाय चक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 17.01..2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

17/1/18

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर